राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3,राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास सी–स्कीम जयपुर 302005
दूरभाष सं0 0141–2222403, वेबसाईट www.cmar-india.org] ई–मेल: dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांक : प.1(क)(18)कार्मिक/आरएमएस/डीएलबी/24/11150 दिनांक : 21-08-2025

आदेश

राजस्थान नगर पालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी) सेवा के विभिन्न संवर्गों की अधिकारियों की वेतनवृद्धि स्वीकृत करने के सम्बन्ध में जारी विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 8575–8960 दिनांक 27.06.2025 को तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहारित किया जाता है।

इन संवर्गों के अधिकारियों की वेतनवृद्धि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है:

1. राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत अधीनस्थ कार्मिकों की वेतनवृद्धि हेतु कार्यालयाध्यक्ष अधिकृत हैं तथा कार्यालयाध्यक्ष की वेतनवृद्धि हेतु प्रादेशिक अधिकारी/क्षेत्रीय उप निदेशक, बशर्ते वहां सहायक लेखाधिकारी–प्रथम/लेखाधिकारी का पद हो, विभागाध्यक्ष हेतु प्रशासनिक विभाग अधिकृत हैं, अतः इन्हीं प्रावधानों के अनुरूप वेतनवृद्धि स्वीकृत की जायेंगी।
2. उक्तानुसार संवर्गों के अधिकारियों की वेतनवृद्धि स्वीकृत करने से पूर्व इनके विरूद्ध विभिन्न स्तर (विभाग/संबंधित जिला कलेक्टर) पर पारित दण्डादेशों /निलम्बन/न्यायिक कार्यवाही आदि की जानकारी ली जा कर ही वेतनवृद्धि स्वीकृत किया जाना सुनिश्चित करें। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए वेतनवृद्धि स्वीकृत करने वाले अधिकारी का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।
3. उक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा वेतनवृद्धि हेतु समय समय पर जारी निर्देश(यथा ऑनलाईन सम्पत्ति विवरण आदि)की पालना भी सुनिश्चित की जावे।

(जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर)
निदेशक

क्रमांक : प.1(क)(18)कार्मिक/आरएमएस/डीएलबी/24/11151-11160 दिनांक : 21-08-2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
4. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
5. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक स्वायत्त शासन विभाग, राज.।
6. समस्त क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
7. समस्त आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, नगर निगम/परिषद एवं पालिकाऐं राजस्थान।
8. संयुक्त निदेशक(सिस्टम एनालिस्ट)आई टी अनुभाग, निदेशालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
9. समस्त अधिकारीगण, निदेशालय।
10. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक